नम्बर
अहका
हुक्म
में जा

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री राकेश कुमार आर0ए0एस0

दिनांकः- 03.07.17

क्रमांक : राजस्व / 2017 /
प्रा0पत्र सं. 18 / 2017

1. शंकरलाल पुत्र सुखाराम जाति ब्राह्मण निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू
2. रामलाल पुत्र सुखाराम जाति ब्राह्मण निवासी सहनाली छोटी तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. सीमा पत्नी अशोक शर्मा पुत्री नर्बदा जाति ब्राह्मण निवासी 503 क्वीस पाई ब्रिंग नजदीक होटल सोनाली हारवेज मीरा रोड़ ईस्ट जिला थाना महाराष्ट्र (महाराष्ट्र) ।
2. राकेश पुत्र नर्बदा पुत्री सुखराम जाति ब्राहम्ण निवासी रूम नम्बर 06 मकरानी बाड़ा रानी सती मार्ग मालाड़ ईस्ट मुम्बई
3. शीतल पुत्री नर्बदा पुत्री सुखराम जाति ब्राहम्ण निवासी ओम कॉलोनी वार्ड नं. 23 चूरू राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

–:: *अन्तरिम स्थगन आदेश* ::–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष का प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का जारी किया जाता है कि खसरा नं. 60 तादादी 18.08, 62 तादादी 23.10, 65 तादादी 09.04, 80 तादादी 1.15 कुल तादादी 52.17 बीघा वाके रोही सहनाली छोटी की वर्तमान में मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बना रखें। अप्रार्थीगण को इसमें कोई उजर या आपति हो तो असालतन या वकालतन आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2017 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर पेश करें।

अन्तरिम निषेधाज्ञा आज दिनांक 03.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मु से जारी किया गया।

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,